प्रेम कंवर - प्रभुदयाल 131/22

दिनांक	आज्ञा पत्र	
18.9.24	पत्रावली पेश। बहस उभयपक्ष सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दिनांक 23.9.24 को पेश हो। [signature] भू-प्रबंध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सत्यमेव जयते सीकर
23.9.24	पत्रावील पेश । अपील अपीलांट खारिज की जाती है। निर्णय पृथक से लिखाया जाकर शामिल पत्रावली किया गया। निर्णय सरे इजलास सुनाया गया। प्रकरण फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफतर हो। [signature] भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर	

न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

पीठासीन अधिकारी : बलदेवाराम धोजक, RAS

अपील संख्या 131/2022

1 प्रेम कंवर पत्नी भागीरथ सिंह
2 ईश्वर सिंह पुत्र महावीर सिंह
3 सीता कंवर पत्नी महावीर सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।

अपीलांट

बनाम

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर
सत्यमेव जयते

1 प्रभुदयाल पुत्र चतरूराम
2 विमला देवी पत्नी नेमीचन्द
3 कमला देवी पत्नी बाबूलाल
4 गायत्री पुत्री नेमीचन्द
समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।
5 आरती पुत्री देवीसिंह
6 जसवन्त सिंह पुत्र सुगन सिंह
7 नरेन्द्र सिंह पुत्र देवी सिंह
8 पूजा पुत्री देवीसिंह
9 प्रभाती कंवर पत्नी सुगन सिंह
10 भागोती कंवर पत्नी भीम सिंह उर्फ भींवसिंह
11 सुमेर कंवर पुत्री भीमसिंह
12 भागोती कंवर पत्नी भींव सिंह
13 सुमेर कंवर पत्नी भींव सिंह
14 सुशीला कंवर पुत्री भींवसिंह
15 रजनी कंवर पुत्री भींव सिंह

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

16 कृष्ण कंवर पुत्री भींव सिंह

17 लोकेन्द्र सिंह पुत्र गिरवर सिंह नाबालिग जरिये प्रा. संरक्षिका माता कृष्ण कंवर

18 सोनकंवर पुत्री गिरवर सिंह नाबालिग जरिये प्रा. संरक्षिका माता कृष्ण कंवर

19 लक्ष्मण सिंह पुत्र सुगन सिंह

20 विक्रम सिंह पुत्र सुगन सिंह

21 विजेन्द्र सिंह पुत्र सुगन सिंह

22 संतोष कंवर पत्नी देवी सिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।

23 ताराचन्द पुत्र जगदीश

24 बनवारीलाल पुत्र जगदीश

25 गोविन्द सिंह पुत्र माधोसिंह

26 मगन सिंह पुत्र महावीर सिंह

27 पुष्पा कंवर पत्नी माधोसिंह

28 प्रताप सिंह पुत्रगण स्व. माधोसिंह

29 लक्ष्मण सिंह

30 गोविन्द सिंह

31 विनोद कंवर पुत्री माधोसिंह समस्त जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।

32 शाखा प्रबंधक राजस्थान ग्रामीण बैंक शाखा कूदन जिला सीकर।

33 शाखा प्रबंधक सहकारी भूमि विकास बैंक लि शाखा सीकर।

34 उपपंजीयक धोद तहसील धोद जिला सीकर।

35 तहसीलदार धोद जिला सीकर।

36 पूर्ण सिंह पुत्र भींव सिंह जाति राजपूत निवासीगण ग्राम पलथाना तहसील धोद जिला सीकर।

रेस्पोडेन्ट

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

प्रथम अपील विरूद्ध आदेश आवेदन संख्या 18/2021
बउनवानी प्रभुदयाल बनाम प्रेमकंवर आदि निर्णय
दिनांक 21.10.2022 पीठासीन अधिकारी उपखण्ड
अधिकारी धोद मिथलेश कुमार आरएएस

उपस्थिति :

1. श्री महेश कुमार जांगिड़ , अधिवक्ता अपीलांट
2. श्री प्रभातीलाल, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट
3. श्री निर्मल कुमार, अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

–निर्णय–

दिनांकः– 23.9.24

यह अपील विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा मुकदमा नम्बर 18/2021 में पारित निर्णय दिनांक 21.10.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत हुई है।

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि विचारण न्यायालय में वादीगण द्वारा प्रार्थना पत्र 251 ए बाबत भूमि खसरा नम्बर 1149/973, 972, 1148/973, 1150/976, 119, 120, 1151/976 वाके ग्राम पलथाना तहसील धोद का पेश किया। विचारण न्यायालय ने बाद सुनवाई विचाराधीन निर्णय से प्रार्थना पत्र स्वीकार कर लिया। इससे व्यथित होकर यह अपील प्रस्तुत की गई है।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। विद्वान अधिवक्ता अपीलांट ने तर्क दिया कि रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 अपने खेत खसरा नम्बर 1191/976, खसरा नम्बर

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी सीकर

1150/976, खसरा नम्बर 1149/973, खसरा नम्बर 1148/973, खसरा नम्बर 972 वाके ग्राम पलथाना से आकवा में आवागमन हेतु खेत खसरा नम्बर 1151/976 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे 20 फीट चौड़ा रास्ता धारा 251 ए आरटीएक्ट के तहत चाहा गया। आवेदक रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 ने अपने 251 ए आर.टी.एक्ट के आवेदन खसरा नम्बर 1191/976, खसरा नम्बर 1150/976 खसरा नम्बर 1149/973, खसरा नम्बर 1148/973, खसरा नम्बर 972 वाके ग्राम पलथाना में से कोई रास्ता क्लेम ही नहीं किया। तो उसे खसरा नम्बर 1151/976 में से रास्ता मांगने का कोई अधिकार नहीं है। विचारण न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा प्रक्रिया का दुरूपयोग कर आवेदन वर्णित पक्षकारों की तलवी व मौका रिपोर्ट तहसीलदार धोद से तलब करने के आदेश दिनांक 22.02.2021 को जारी किये गये। तहसीलदार की रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 को विचारण न्यायालय को प्राप्त हुई। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 में तहसीलदार धोद ने मौका स्थिति से विपरित अपीलान्ट के खेत खसरा नम्बर 1151/976 की पूर्वी सींव के सहारे सहारे रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 को रास्ता दिया जाना प्रस्तावित किया। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 तैयार करने के दिन अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर व अपना पक्ष रखने का कोई अवसर तहसीलदार धोद द्वारा प्रदान नहीं किया गया। रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 पर अपीलान्टस द्वारा आपत्ति प्रस्तुत की गई कि आपत्ति स्वीकार कर उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा स्वयं मौका देखने के आदेश पारित किये गये। उक्त उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा आपके आदेश के क्रम में कोई मौका रिपोर्ट नहीं बनाई गई। ना ही पुनः तहसीलदार से रिपोर्ट प्राप्त की गई। वहां अपीलान्टस ने विवादित भूमि खसरा नम्बर 1151/976 में कथित रास्ते के स्थान पर आवासीय ढाणी व पशुओं के टीन शेड लगाया हुआ है। मौका रिपोर्ट दिनांक 16.03.2021 निरस्त किये जाने के बाद उसी मौका रिपोर्ट को आधार मानकर उपखण्ड अधिकारी धोद द्वारा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 अन्यथा प्रभावित होकर एवं राजनैतिक दबाव में रहते हुये रेस्पोडेन्ट के खेतों के लिये वैकल्पिक रास्ता होते हुये भी नया व असुविधाजनक रास्ता

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी

खसरा नम्बर 1151/976 की पूर्वी सींव के सहारे सर्वे शीट में अंकित करते हुये मौके पर कायम करने के गलत आदेश दिनांक 21.10.2022 को पारित कर दिया उक्त धारा 251 क की उपधारा ख (1) आर.टी.एक्ट के विपरित होने से आदेश दिनांक 21.10.2022 निरस्तनीय है। 251 ए आरटीएक्ट के तहत रास्ता उन लोगों को उपलब्ध करवाया जाता है। जिनके खेत में आवागमन हेतु कोई रास्ता मौजुद नहीं है। आवेदक के खेत में आवागमन हेतु दो वैकल्पिक रास्ता मौजुद है। रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 1148/973 खसरा नम्बर 1149/973 में आवागमन का एक रास्ता ग्राम पलथाना से फिल्ड जोहड़ी होता हुआ ग्राम आकवा को जाता है। उक्त फिल्ड जोहडी के उत्तरी ओर 100 मीटर चौड़ी पट्टी का खातेदार श्रवण पुत्र विद्याधर, मोहन पुत्र चिमना के सिवा जोड़ के रेस्पोडेन्ट को खेत खसरा नम्बर 1149/973 मौजुद है उक्त श्रवण व मोहन की इजाजत से अपीलान्ट कदीम से अपने खेतों में आवागमन करते है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 1152/987 के दक्षिणी सींव के सहारे सहारे होता हुआ। खेत खसरा नम्बर 988/1046 में से होता हुआ रेस्पोडेन्ट के खेत खसरा नम्बर 1149/973 में प्रवेश कर जाता है। रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 24 के खेत में जाने के दो वैकल्पिक रास्ता मौजुद होने से वह आर.टी.एक्ट की धारा 251 ए पोषणीय नहीं होने से आवेदन संख्या 18/2021 निर्णय दिनांक 21.10.2022 निरस्तनीय है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय द्वारा पारित विचाराधीन निर्णय विधि सम्मत है। अपील स्वीकार की जावें।

विद्वान अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट ने तर्क दिया कि तहसीलदार धोद की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार 'ग्राम पलथाना के खसरा नम्बर 972, 1148/973, 1149/473 के लिए आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही पूर्व में प्रचलित रास्ता होना उपस्थितजनों ने बताया एवं मौका स्थिति से भी प्रचलित रास्ते में अवरोधक लगाना प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम व लघुत्तम है।' इस प्रकार

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधि
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन में प्रस्तावित रास्ते को ही तहसीलदार की रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में देखे गये मौका स्थल निरीक्षण से प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता व रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता एकमात्र, लघुत्तम उल्लेखित है जबकि मौका अवलोकन व प्रस्तुत रिपोर्टस में वकील अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 ,द्वारा बार–बार आवेदक की भूमि के लगने वाले अन्य रास्ते का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है और ना ही मौका निरीक्षण पर ऐसा प्रकट हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 के द्वारा लघुत्तम रास्ते के संबंध में मुख्य आपत्ति है लेकिन मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार व मौका स्थल निरीक्षण में यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1149/973, 1150/976 स्वयं प्रार्थीगण के है जिनमें से रास्ता चाहा गया है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 की आराजी खसरा संख्या 1151/976 में से 90 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रस्तावित किया है, जो कि खसरा संख्या 986 के दक्षिण–पश्चिम में ग्रेवल सड़क से जुड़ता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 के द्वारा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अप्रार्थीगण संख्या 11 व 12 प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। अपील सारहीन है। खारिज की जावें।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस पर मनन किया। पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि तहसीलदार धोद की रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अनुसार 'ग्राम पलथाना के खसरा नम्बर 972, 1148/973, 1149/473 के लिए आवागमन के लिए अन्य वैकल्पिक रास्ता नहीं है। प्रस्तावित रास्ता ही पूर्व में प्रचलित रास्ता होना उपस्थितजनों

भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

न्यायालय भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी सीकर

ने बताया एवं मौका स्थिति से भी प्रचलित रास्ते में अवरोधक लगाना प्रमाणित है। प्रार्थीगण द्वारा चाहा गया रास्ता निकटतम व लघुत्तम है।' इस प्रकार प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन में प्रस्तावित रास्ते को ही तहसीलदार की रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा में बिंदुवार प्रस्तुत किया गया है। तहसीलदार द्वारा प्रस्तुत रास्ता प्रस्ताव रिपोर्ट मय नजरी नक्शा के अवलोकन तथा स्वयं पीठासीन अधिकारी द्वारा पटवार हल्का की उपस्थिति में देखे गये मौका स्थल निरीक्षण से प्रार्थीगण द्वारा आवेदित रास्ता व रिपोर्ट अनुसार प्रस्तावित रास्ता एकमात्र, लघुत्तम उल्लेखित है जबकि मौका अवलोकन व प्रस्तुत रिपोर्टस में वकील अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 ,द्वारा बार–बार आवेदक की भूमि के लगने वाले अन्य रास्ते का उल्लेख कहीं भी नहीं मिलता है और ना ही मौका निरीक्षण पर ऐसा प्रकट हुआ है। अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 के द्वारा लघुत्तम रास्ते के संबंध में मुख्य आपत्ति है लेकिन मुताबिक मौका रिपोर्ट तहसीलदार व मौका स्थल निरीक्षण में यह स्पष्ट है कि प्रस्तावित रास्ता खसरा नम्बर 1149/973, 1150/976 स्वयं प्रार्थीगण के है जिनमें से रास्ता चाहा गया है जबकि अप्रार्थीगण संख्या 01 ता 06 की आराजी खसरा संख्या 1151/976 में से 90 मीटर लम्बाई का रास्ता प्रस्तावित किया है, जो कि खसरा संख्या 986 के दक्षिण–पश्चिम में ग्रेवल सड़क से जुड़ता है। इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 01, 02, 04 व 06 के द्वारा प्रस्तावित रास्ते के संबंध में प्रस्तुत आपत्ति खारिज करने में विचारण न्यायालय ने कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। अप्रार्थीगण संख्या 11 व 12 प्रार्थीगण के हस्तगत आवेदन को स्वीकार किये जाने पर सहमत है। ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय ने विचाराधीन निर्णय से आवेदन स्वीकार करने में कोई विधिक त्रुटि नहीं की है। विचारण न्यायालय का निर्णय विधि सम्मत है। हम इसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं पाते है। अतः इसमें हस्तक्षेप करना हम उचित नहीं समझते है।

उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट खारिज की जाती है।

भू-प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर

निर्णय आज दिनांक 23.9.24 को सरे इजलास सुनाया गया।

(बलदेवाराम धोजक)
भू–प्रबन्ध अधिकारी एव
पदेन राजस्व अपील प्राधिकारी,
सीकर